20. निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग

निर्वाचन

निर्वाचन व्यवस्था

निर्वाचन व्यवस्था संविधान के भाग - XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों या निर्वाचन से संबंधित निम्न प्रावधानों का उल्लेख है-

- संविधान के अनुसार संसद अथवा राज्य विधायिका के चुनावों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता, केवल एक चुनाव याचिका जो ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तरीके से प्रस्तुत की जाए जिसका प्रावधान विधायिका ने किया हो। 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई अकेले उच्च न्यायालय करता है किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र केवल उच्चतम न्यायालय में है।
- कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए केवल ध र्म, नस्ल, लिंग अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर अयोग्य नहीं हो सकता।
- संसद उन सभी व्यवस्थाओं का प्रावधान कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव मतदाता सूची की तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सभी मामले जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- राज्य विधायिका भी स्वयं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों में, मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में तथा संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों में प्रावधान बना सकती है।
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
- संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आबंटित स्थानों से संबंधित कानूनों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिणामस्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- संविधान (अनु. 324) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंध की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

चुनाव सुधार

मतदान की उम्र में कमी: 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि: 1988 में राज्यसभा तथा राज्य विधानपरिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र के प्रस्ताव के लिए आवश्यक निर्वाचकों की संख्या को बढ़ाकर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का दस प्रतिशत अथवा 10 निर्वाचक, जो कम हो, कर दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन: 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएस) के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग प्रायोगिक तौर पर 1998 में राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा दिल्ली विधानसभा के चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। ईवीएम का पहला प्रयोग (पूरे राज्य में) 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनावों में किया गया था।

मतदान केंद्रों में कब्जा: 1989 में प्रावधान किया गया कि मतदान केंद्रों में लूट के कारण मतदान को स्थागित अथवा रद्द किया जा सकता है।

उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाना: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम की सूची बनाने के लिए उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये इस प्रकार हैं-

- दूसरे (निर्दलीय) उम्मीदवार।
- मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार।
- गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत उम्मीदवार।

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान हेतु अयोग्यता: राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने पर अयोग्यता संबंधी कानून के तहत निम्नलिखित आरोपों में दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति संसद तथा विधायिका के चुनाव लड़ने के लिए छह वर्षों के लिए अयोग्य होगा।

- राष्ट्रीय गान को गाने से रोकने का आरोप।
- भारतीय संविधान के अपमान का आरोप।
- राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप।

शराब की बिक्री पर रोक: शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक चुनावी क्षेत्र में सार्वजनिक अथवा निजी किसी दुकान, खाद्य स्थल, होटल अथवा किसी अन्य स्थान पर, नहीं बेचा जा सकता।

प्रस्तावकों की संख्या: मान्यता प्राप्त दल का समर्थन प्राप्त न होने पर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदाताओं के हस्ताक्षर एक प्रस्तावक की तरह होने चाहिये। किंतु किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त उम्मीदवार के लिए मात्र एक प्रस्तावक ही आवश्यक है।

उम्मीदवार की मृत्यु: चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं किया जाता। अपितु पीड़ित उम्मीदवार से संबंधित दल का दूसरे उम्मीदवार का प्रस्ताव करने के लिए सात दिन का समय दिया जाता है।

उप-चुनावों की सीमा: संसद अथवा राज्य विधानसभा में स्थान रिक्त होने पर उप चुनाव छह माह के भीतर करा लेना चाहिए किंतु दो मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती-

- जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से यह प्रामाणित कर दे कि उपरोक्त समय में उपचुनाव करा पाना कठिन है।
- जहां सदस्य, जिसका स्थान भरा जाता है, का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम बचा हो, अथवा

मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश: किसी भी व्यापार, कार्य, उद्योग अथवा किसी दूसरे संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश दिया जाता है।

दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिबंध: कोई भी उम्मीदवार साथ-साथ हो रहे आम चुनाव अथवा उपचुनाव में 2 से ज्यादा संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा।

प्रभावी प्रचार समय में कमी: नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा मतदान की तिथि के मध्य न्यूनतम अंतर 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव: 1997 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदक मतदाताओं की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 तथा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों तथा अनुमोदक मतदाताओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों के चुनाव में निरर्थक उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए जमानत राशि 2500 रु. से बढ़ाकर 15000 रु. कर दी गई।

डाक मतपत्र द्वारा मतदान: 1999 में कुछ निश्चित वर्ग के व्यक्तियों के मतदान के लिए डाक मतपत्र का प्रावधान किया गया।

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में साफ-सुथरे चुनाव कराने के लिए किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों में चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है।

संगठन या रचना

संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयुक्तों से मिलकर होता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।
- जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
- राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता हैं, जिसे वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्ति होती है और वेतन, भत्ता व अन्य दूसरे लाभ भी एकसमान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।

उनका कार्यकाल छह वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है।

स्वतंत्रता

संविधान के अनुच्छेद - 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार, अयोग्यता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

- अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

शक्ति और कार्य

संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

- अर्द्ध-न्यायिक।
- सलाहकारी।
- प्रशासनिक

विस्तार में शक्ति व कार्य इस प्रकार हैं-

- शरारत, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर चुनाव रद्द करना।
- चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत करना तथा चुनाव में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा देना।
- समय-समय पर निर्वाचन-नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- चुनाव की तारीख और सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना।
- निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच-परख के लिए अधिकारी नियुक्त करना।
- चुनाव के वक्त दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
- संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिह्न देना।
- विधानपरिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना।
- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का भू-भाग निर्धारित करना।

EduBull.com